

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/सूचनाओं के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी स्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करित ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत मसौ के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल श्रेणिकी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 887 दिनांक 04/02/2024

प्राचीन नियमका 316 को पसरण

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12500/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9062/1808, 1809

दिनांक 04/02/2024 को जमा करा दी है ।

P-200-22/सी खसरा खण्ड 221

श्री.सिनाच मूढ निर्माण स.संघदी द्वारा

गोवा

04/02/2024

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

डा.सिनाच

04/02/2024

9252785006